HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IInd Bail Application No. 9286/2026
URN: CRLMB / 17042U / 2026

Hariom S/o Shri munsilal, Aged About 21 Years, R/o Borkheda Ps Mitrapura, District-Sawaimadhopur (Raj.) (Accused Confined In District Jail Sawaimadhopur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajendra Singh Tanwar
For Respondent(s)	:	Mr. R.S.Shekhawat, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

03/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह **द्वितीय** प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **25/2026** अपराध अन्तर्गत धारा **318(4), 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी आईटी एक्ट** में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.04.2026 को निरस्त होने के उपरान्त प्रकरण में अनुसंधान पूरा किया जाकर आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने अपना खाता सहअभियुक्त को साइबर अपराध के लिए उपलब्ध करवाया एवं उसमें 44619/–रूपये जमा हुए। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त गोलू जिसका जमानत प्रार्थना–पत्र भी दिनांक 15.04.2026 को ही प्रार्थी के जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ निरस्त हुआ था, को इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2026 को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक मामला

नहीं है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि साइबर अपराध का मामला है तथा ऐसे मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्त को अपना खाता साइबर अपराध के लिए उपलब्ध करवाए जाने का अभियोग है। अनुसंधान पूरा किया जाकर आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.03.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने का तथ्य भी सामने नहीं आया है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **हरिओम बैरवा** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां** प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त को यह भी निर्देश दिए जाते है। कि वह प्रकरण के विचारण तक सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रत्येक दूसरे माह की 10 तारीख तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। सम्बन्धित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक दो माह पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना

नहीं किए जाने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

9/AJAY KUMAR SINGHAL/712